

[2023] 10 एससीआर 917:2023 आई. एन. एस. सी 466

ए.

श्री सुखबीर सिंह बादल बनाम

बालवंत सिंह खेरा और ओआरएस। (2023 की आपराधिक अपील संख्या 1116) अप्रैल 28, 2023

बी.

[एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 -धारा 29-ए (5)-सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925-दंड संहिता, 1860-एस. एस.420, 463, 465, 466, 467, 468, 471 आर/डब्ल्यू एस।120 बी, 191, 192-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस.202, 204, 315, 482 - प्रत्यर्थी नं. द्वारा एक निजी शिकायत दर्ज की गई थी। 1-मूल वादी यू/एस एस।463, 465, 466, 467, 468, 471, 191, 192 अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता सी.- शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि एस की आवश्यकताओं का पालन करते हुए।

अपीलार्थीगण 2 अपीलार्थीगण 9 अपीलार्थीगण-

अपीलार्थीगणलअपीलार्थीगणोअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगण

अपीलार्थीगणपअपीलार्थीगणअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणतअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणनअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणधअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणतअपीलार्थीगणअपीलार्थीगणवअपीलार्थीगण

अपीलार्थीगणअअपीलार्थीगणधअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणनअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणमअपीलार्थीगण,अपीलार्थीगण

अपीलार्थीगण 1 अपीलार्थीगण 9 अपीलार्थीगण 5 अपीलार्थीगण 1 अपीलार्थीगण

अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण अपीलार्थीगणएअपीलार्थीगण

अपीलार्थीगण(अपीलार्थीगण 5 अपीलार्थीगण)अपीलार्थीगण

अपीलार्थीगणमअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगणअपीलार्थीगण

अपीलार्थीगणभअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणतअपीलार्थीगण

अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण

अपीलार्थीगणचअपीलार्थीगणुअपीलार्थीगणनअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणवअपीलार्थीगण

अपीलार्थीगणआअपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणोअपीलार्थीगणगअपीलार्थीगण

अपीलार्थीगण(अपीलार्थीगणईअपीलार्थीगण.अपीलार्थीगण

अपीलार्थीगणसअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगण.अपीलार्थीगण

अपीलार्थीगणआअपीलार्थीगणईअपीलार्थीगण.अपीलार्थीगण)अपीलार्थीगण

अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

अपीलार्थीगणअपीलार्थीगणअपीलार्थीगणअपीलार्थीगण 420, 465, 466, 467, 468, 471 आर/डब्ल्यू एस।120 बी भारतीय दण्ड संहिता सी.-समन आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थीगण ने उच्च न्यायालय के यू/एस के समक्ष एक आवेदन दायर किया।482 Cr.P.C शिकायत के साथ-साथ समन आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए-उच्च न्यायालय ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया और अपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ समन आदेश को भी रद्द करने से इनकार कर दिया-अपील पर कहा गया:धोखाधड़ी के अपराध के लिए सामग्री बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को धोखा देने का कोई सवाल ही नहीं है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को देने के लिए धोखाधड़ी या बेईमानी से और इसलिए, शिकायत में कथनों और आरोपों को नंगे पढ़ने पर भी, अपराध के लिए कोई मामला नहीं है। 420 भारतीय दण्ड संहिता है

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

917 ए.

918 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

तैयार किया गया-जालसाजी के अपराध के लिए, जनता या किसी भी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुंचाने के इरादे से एक झूठा दस्तावेज बनाना चाहिए और इसलिए, झूठे दस्तावेज बनाना अनिवार्य है-तत्काल मामले में, कोई झूठा दस्तावेज पेश नहीं किया गया है और जो पेश किया गया था वह ज्ञापन था और कोई अन्य दस्तावेज पेश नहीं किए गए थे-यहां तक कि मूल वादी के अनुसार, ज्ञापन और पार्टी के पंजीकरण के समय किया गया दावा कि उसने धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार करते हुए एक ज्ञापन अपनाया है, वही गुरुद्वारा चुनाव आयोग के समक्ष पेश किए गए पार्टी के संविधान के विपरीत था-एक झूठा दावा करना और झूठा दस्तावेज बनाना और पेश करना दोनों अलग और विशिष्ट हैं-शिकायत में किए गए कथनों और आरोपों को देखते हुए और यहां तक कि सामग्री /420, 465, 466, 467, 468, 471 इन परिस्थितियों में, निचली अदालत द्वारा पारित समन आदेश सहित पूरी अपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है।

बी.

सी.

डी.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: **1.** शिकायत में किए गए कथनों और आरोपों को देखते हुए, यह बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है कि अपीलार्थीगण पर धोखाधड़ी करने का आरोप कैसे लगाया गया है। धोखाधड़ी के अपराध के लिए सामग्री बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को देने के लिए धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी को धोखा देने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए, शिकायत में कथनों और आरोपों को नंगे पढ़ने पर भी, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा **420** के तहत अपराध के लिए दूर से भी कोई मामला नहीं बनता है।
[पैरा 5.6] [932-डी-ई]

ई.

एफ.

2. धारा **463** के अनुसार, "जो कोई भी जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुँचाने के इरादे से, या किसी भी दावे या अधिकार का समर्थन करने के लिए, या किसी व्यक्ति को संपत्ति से अलग करने के लिए, या किसी स्पष्ट या निहित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए, या धोखाधड़ी करने के इरादे से या धोखाधड़ी करने के इरादे से कोई झूठा दस्तावेज बनाता है", उसे जालसाजी का अपराध करने वाला कहा जाता है। गलत दस्तावेज बनाना भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा **464** के तहत परिभाषित किया गया है। इसलिए, जालसाजी के अपराध के लिए, जनता को नुकसान या चोट पहुँचाने के इरादे से एक झूठा दस्तावेज बनाया जाना चाहिए।

जी.

एच.

919

श्री सुखबीर सिंह बादल बनाम बालवंत सिंह खेरा और हमारा।

या किसी भी व्यक्ति को। इसलिए, झूठे दस्तावेज बनाना अनिवार्य है। वर्तमान मामले में कोई झूठा दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। जो प्रस्तुत किया गया वह ज्ञापन था और कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे। यहां तक कि मूल वादी के अनुसार, ज्ञापन और पार्टी के पंजीकरण के समय किया गया दावा कि उसने धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार करते हुए एक ज्ञापन को अपनाया है, वही जो गुरुद्वारा चुनाव आयोग के समक्ष पेश किए गए पार्टी के

संविधान के विपरीत है। झूठा दावा करना और झूठा दस्तावेज़ बनाना और पेश करना दोनों अलग-अलग और अलग हैं। [पैरा 5.8, 5.9] [932-एच; 933-ए-बी; 934-बी-सी]

बी.

सी.

3. शिकायत में किए गए कथनों और आरोपों और यहां तक कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री/साक्ष्य को देखते हुए और यहां तक कि शिकायत के कथनों को सही मानते हुए, धारा **420, 465, 466, 467, 468, 471** के तहत दंडनीय अपराध के तत्व बिल्कुल भी नहीं बनाए गए हैं। इन परिस्थितियों में अपीलार्थीगण के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना-शिकायत से उत्पन्न होने वाले अभियुक्त और समन आदेश के अनुसार अभियुक्त द्वारा मुकदमे का सामना करना कानून और अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और यह प्रत्यर्थी द्वारा दायर शिकायत से उत्पन्न होने वाली पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त मामला है, जिसमें विद्वत निचली अदालत द्वारा पारित समन आदेश भी शामिल है। [पैरा 5.11, 6] [934-ई-एफ; 935-ए-बी]

डी.

ई.

सरदार सरूप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य। ए. आई. आर 1959 एस. सी 860; एस. आर. बोम्मई और ओआरएस. वी. संघ

भारत और ओआरएस। (1994) 3 एस. सी. सी 1: [1994] 2 एससीआर 644;

एफ.

आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामीयर [1954] एससीआर 1005; बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एडवेंटज़ इन्वेस्टमेंट्स एंड होलिंग्स लिमिटेड और अन्य। (2019) 16

एससीसी 610: [2019] 7 एस. सी. आर. 655; मोहम्मद इब्राहिम और

ओआरएस. वी. बिहार और अन्न राज्य। **(2009) 8 एससीसी 751: [2009] 13**

एससीआर **1254**; सुनील भारती मित्तल बनाम सेंट्रल

जी.

अनुसंधान ब्यूरो (2015) 4 एस. सी. सी. 609: [2015] 1

एस. सी. आर. **377**; महमूद उल रहमान बनाम खजीर मोहम्मद

टुंडा और ओआरएस। (2015) 12 एससीसी 420: [2015] 4 एस. सी. आर. 841-संदर्भित।

एच.

920 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

ए.

मामला कानून संदर्भ

[1994] 2 एससीआर 644

संदर्भित किया गया है

पैरा **3.5**

[1954] एससीआर 1005

संदर्भित किया गया है

पैरा **3.5**

[2019] 7 एससीआर 655

संदर्भित किया गया है

पैरा **3.10**

बी.

[2009] 13 एससीआर 1254

संदर्भित किया गया है

पैरा **3.11**

[2015] 1 एससीआर 377

संदर्भित किया गया है

पैरा **3.11**

[2015] 4 एससीआर 841

संदर्भित किया गया है

पैरा **3.11**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील संख्या 1116।

सी.

2019 के सी. आर. एम.-एम. सं. 54161 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 27.08.2021 के निर्णय और आदेश से।के साथ

2023 की आपराधिक अपील Nos.1118 और 1117।

डी.

के. वी. विश्वनाथन, आर. एस. चीमा, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री नंदिनी गोरे, संदीप कपूर, विरिंदर पाल सिंह, सुश्री अदिति भट्ट, सुश्री ताहिरा करंजावाला, सुश्री निहारिका करंजावाला, सुश्री अपूर्वा पांडे, अर्जुन शर्मा, जी. जी.मेसर्स करंजावाला एंड कंपनी के लिए कश्यप, रोज वर्मा, सुश्री सान्या दुआ, यश दुबे, सुश्री तरन्नुम चीमा, आकाश सिंह। अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

ई.

सी. यू., सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रशांत भूषण, सुश्री इंदिरा उन्नीयार, सुश्री मुद्राक्षी, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एफ.

एम. आर. शाह, जे.

1. 2019 के सी. आर. एम.-एम. संख्या 54161 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने धारा 482 Cr.P.C के तहत दायर उक्त आवेदन को खारिज कर दिया है और इसमें अपीलार्थीगण को समन करने वाले विद्वत निचली अदालत द्वारा पारित समन आदेश को रद्द और रद्द नहीं किया है-भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 420,465,466,467,468,471 के तहत मूल रिट याचिकाकर्ता और 120 बी के साथ पठित और उससे उत्पन्न होने वाली अन्य बाद की कार्यवाही, मूल अभियुक्त-अपीलार्थीगण ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

जी.

एच.

921

श्री सुखबीर सिंह बादल बनाम बालवंत सिंह खेरा और हमारा। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:- 2.1 प्रारंभ में, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा यहां एक निजी शिकायत दर्ज की गई थी-मूल वादी के रूप में विद्वान

एसीजेएम, होशियारपुर के समक्ष शिकायत संख्या 2009 का 23 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 463,465,466,467,468,471,191,192 के तहत श्री सुखबीर सिंह बादल, श्री सुखदेव सिंह ढिंढसा, श्री सुरिंदर सिंह शिंदा और डॉ. दलजीत सिंह चीमा के खिलाफ अपराधों के लिए।

बी.

इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रासंगिक समय में, श्री प्रकाश सिंह बादल, जो अब अभियुक्तों में से एक हैं, को अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

सी.

2.2 शिकायत में आरोप लगाया गया था कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (इसके बाद "अधिनियम, 1951" के रूप में संदर्भित) की धारा 29-ए (5) की आवश्यकताओं का पालन करते हुए, भारत के चुनाव आयोग (ई. सी. आई.) के साथ एक हलफनामे के रूप में एक हलफनामा दायर किया गया था, जो गुरुद्वारा चुनाव आयोग (जी. ई. सी.) को दिए गए हलफनामे/हलफनामे से विरोधाभासी था। 2.3 यह आरोप लगाया गया था कि उक्त हलफनामे को शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के तत्कालीन अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह बादल ने शपथ दिलाई थी, जिसमें कहा गया था कि पार्टी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का पालन कर रही है। सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के तहत, केवल सिख मतदाता बन सकते हैं या शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एस. जी. पी. सी.) के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। कि यह धार्मिक आधार पर सदस्यता को प्रतिबंधित करता है और इसे धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा जा सकता है। यह आरोप लगाया गया था कि सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के अनुरूप जी. ई. सी. को प्रस्तुत किया गया संविधान ई. सी. आई. को प्रस्तुत किए गए संविधान के विपरीत है क्योंकि यह दर्शाता है कि पार्टी ई. सी. आई. को वचन देते हुए धार्मिक गतिविधियों में लगी हुई है कि वह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखेगी। कि एसएडी को एक राजनीतिक दल के रूप में कार्य करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि इसके पदाधिकारी गैर-धर्मनिरपेक्ष हैं। इसलिए, एसएडी ने एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए ईसीआई के पास एक झूठा संविधान दायर किया है। 2.4 कि विद्वत विचारण न्यायालय ने धारा 202 Cr.P.C के तहत जांच की और संबंधित गवाहों का बयान दर्ज किया। मूल वादी ने एक प्रार्थना के साथ ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया कि श्री सुखबीर सिंह बादल और डॉ. दलजीत सिंह चीमा को गवाह के रूप में तलब किया जाए और मांगे गए दस्तावेजों को पेश करने के लिए कहा जाए। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि वादी इसके खिलाफ शिकायत को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

922

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

उन्हें और उनके नाम शिकायत के शीर्षक से हटा दिए जाएँ। 2.5 उक्त आवेदन 06.04.2011 पर दाखिल किया गया था। दिनांक 26.08.2011 के आदेश द्वारा, विद्वत विचारण न्यायालय ने उपरोक्त दो व्यक्तियों को अभिलेख के साथ गवाह के रूप में बुलाने का आदेश दिया। कि प्रथम पुनरीक्षण न्यायालय-विद्वत सत्र न्यायालय के समक्ष प्राथमिक पुनरीक्षण आवेदन यह देखते हुए खारिज कर दिया गया कि पुनरीक्षण एक अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ बनाए रखने योग्य नहीं है और वादी के आवेदन पर विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ शिकायत का पीछा नहीं करने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। कि वादी ने 2009 की शिकायत संख्या 23 में विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष फिर से 04.07.2014 दिनांकित एक आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि वह 06.04.2011 दिनांकित आवेदन को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है।

बी.

सी.

2.6 यहाँ अपीलार्थीगण द्वारा दायर दूसरा आवेदन दिनांक 06.08.2014-मूल रिट याचिकाकर्ता Cr.P.C की धारा 325 (1) (a) और (b) के तहत, विद्वान ACJM के खारिज होने से पहले। इसमें अपीलार्थीगण ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन दायर कर विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने की मांग की, जिसके द्वारा उन्हें गवाह के रूप में तलब किया गया था, जिसका उच्च न्यायालय द्वारा निपटारा किया गया, जिसमें गवाहों के समन को दरकिनार करते हुए रिकॉर्ड को विधिवत अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। इसके बाद जांच आगे बढ़ी और संबंधित गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। 2.7 कि मूल शिकायत के 09 साल बाद, वादी ने शिकायत में संशोधन के लिए 28.04.2017 पर एक संशोधन आवेदन दायर किया, जिसमें शिकायत में पर्याप्त बदलाव करने के साथ-साथ पांच और व्यक्तियों को आरोपी के रूप में जोड़ा जाना और कुछ अपराधों को भी शिकायत में जोड़ा जाना था। श्री प्रकाश सिंह बादल को मांगे गए संशोधन में एक आरोपी के रूप में जोड़ा गया। संशोधन के लिए उक्त आवेदन को विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 07.06.2017 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

डी.

ई.

एफ.

जी.

2.8 मूल वादी ने उक्त आदेश दिनांक 07.06.2017 को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जिसे बाद में निचली अदालत से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था। कि 08.08.2017 पर, मूल वादी -प्रत्यर्थी संख्या 1 ने संशोधन के लिए दूसरा आवेदन दायर किया। शिकायतकर्ता का दूसरा ए

एच.

923

श्री सुखबीर सिंह बादल बनाम बालवंत सिंह खेरा और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

शिकायत के संशोधन के लिए आवेदन को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दिनांक 09.11.2017 के आदेश के माध्यम से फिर से खारिज कर दिया गया। कि इसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपित दिनांक 1 के आदेश द्वारा, विद्वत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 420, 465, 466, 467, 468, 471 के साथ पठित 120 बी के तहत अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए समन आदेश पारित किए। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि उक्त समन आदेश द्वारा श्री प्रकाश सिंह बादल, जिन्हें शिकायत में आरोपी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था, को भी अब अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें उपरोक्त अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया है।

बी.

2.9 समन आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अपीलार्थीगण ने धारा 482 Cr.P.C के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान आवेदन को प्राथमिकता दी, जिसमें शिकायत को रद्द करने के साथ-साथ 04.11.2019 दिनांकित समन आदेश की मांग की गई। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया है और आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ समन आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया है। इसलिए वर्तमान अपीलें।

सी.

डी.

3. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वी. विश्वनाथन ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपित शिकायत कानून की

प्रक्रिया और न्यायालय के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है और इसलिए, माननीय उच्च न्यायालय को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर शिकायत से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर देना चाहिए था।

ई.

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर 20.02.2009 दिनांकित शिकायत, पार्टी के पंजीकरण के 20 वर्षों के बाद और वास्तव में प्रत्यर्थी संख्या 1 के पार्टी के पंजीकरण को रद्द करने के अपने प्रयास में विफल होने के बाद देर से दायर की गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम, 1951 की धारा 29-ए को संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसका प्रभाव नाम 15.03.1989 था। इस संशोधन में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित किया गया है कि पंजीकरण की मांग करने वाला एक राजनीतिक दल का ज्ञापन या तो एक ज्ञापन या निकाय के नियम और विनियम (अर्थात् संविधान) दायर करेगा, जिसे किसी भी नाम से जाना जाए, जिसमें विशिष्ट प्रावधान होगा कि संघ या निकाय समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा रखेगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 29-ए में संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं थी।

एफ.

जी.

एच.

924

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिरोमणि अकाली दल (बादल) [एसएडी (बी)] ने दिनांक 14.08.1989 के आवेदन के माध्यम से उक्त प्रावधान के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। एसएडी (बी) के पंजीकरण को प्रत्यर्थी नंबर 1, बलवंत सिंह खेड़ा द्वारा भारत के चुनाव आयोग को भेजे गए एक संदर्भ पत्र के माध्यम से चुनौती दी गई थी। एसएडी (बी) की टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद, ईसीआई के सचिवालय ने प्रत्यर्थी नंबर 1 के अधिवक्ता को सूचित किया कि चुनौती टिकाऊ नहीं थी। ईसीआई द्वारा पारित आदेश को दिनांक 10.01.2008 के संचार के माध्यम से सूचित किया गया था।

बी.

3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद पार्टी का पंजीकरण रद्द कराने में विफल रहने के बाद, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने वर्तमान शिकायत दिनांक 20.02.2009 दर्ज की है, जो

पंजीकरण के 20 साल बाद देर से दायर की गई है और यह कानून और अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है।

सी.

3.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायत का आधार यह था कि अधिनियम, 1951 की धारा 29-ए का पालन करते हुए निर्वाचन आयोग को दिया गया वचन गुरुद्वारा चुनाव आयोग को प्रस्तुत किए गए संविधान के साथ विरोधाभासी था क्योंकि पार्टी धर्मनिरपेक्षता पर झूठी घोषणा करते हुए धार्मिक गतिविधियों में लगी हुई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के अनुसार, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के संविधान के अनुसार, केवल सिख धर्म और एक विशेष धर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के अनुसार, पार्टी के संविधान के खंडों को धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाला नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 1 के अनुसार, अधिनियम, 1951 की धारा 29-ए के तहत घोषणा प्रस्तुत करते समय, एक झूठा और विपरीत दावा किया गया था, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त में कोई सार नहीं है।

डी.

ई.

एफ.

3.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी धार्मिक स्थान का प्रबंधन एक धर्मनिरपेक्ष कार्य है। सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 गुरुद्वारों के बेहतर प्रबंधन से संबंधित है और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एस. जी. पी. सी.) के चुनावों में भाग लेना गैर-धर्मनिरपेक्ष अधिनियम नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी विशेष धर्म में विश्वास करते हुए भी, एक व्यक्ति/दल धर्मनिरपेक्ष हो सकता है। सरदार सरूप के मामले में इस अदालत के फैसलों पर भरोसा किया जाता है।

जी.

सिंह और ओआरएस। बनाम पंजाब राज्य और अन्य, ए. आई. आर. **1959** एस. सी. **860**; एस. आर. बोम्मई और ओआरएस। बनाम भारत संघ और अन्य, **(1994) 3** एस. सी. सी. **1** और आयुक्त, हिंदू धार्मिक ए

एच.

925

श्री सुखबीर सिंह बादल बनाम बालवंत सिंह खेरा और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

दान, मद्रास बनाम श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी, 1954 एस. सी. आर. 1005।

3.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि धार्मिक होना धर्मनिरपेक्षता के विरोधी नहीं है। व्यक्ति दृष्टिकोण में धार्मिक होने के साथ-साथ धर्मनिरपेक्ष भी हो सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पार्टी की सदस्यता सभी के लिए खुली है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, जिस आधार पर शिकायत दर्ज की गई है, वह निराधार है।

बी.

3.7 अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वनाथन द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा गुण-दोष के आधार पर भी, उस अपराध के लिए कोई मामला नहीं बनाया जाता है जिसके लिए विद्वत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया है, अर्थात् भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 420, 465, 466, 467, 468, 471 के साथ 120 बी के तहत।

सी.

3.8 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक कथित धोखाधड़ी के अपराध का संबंध है, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 415 में परिभाषित धोखाधड़ी का कोई अपराध नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धोखाधड़ी के अपराध के लिए सामग्री नहीं बनाई गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायत में भी भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 420 के तहत अपराध का उल्लेख नहीं किया गया था। बाद में, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 420 को लागू करने और अधिक व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में जोड़ने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित संशोधन किया गया, जिसे एक बोलने वाले आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। मामला माननीय उच्च न्यायालय में ले जाया गया था लेकिन आपराधिक संशोधन वापस ले लिया गया था। उसी राह के लिए विद्वत मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया गया दूसरा आवेदन भी एक सुविचारित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

डी.

ई.

3.9 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जालसाजी का अपराध भी नहीं बनाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायत या प्रारंभिक साक्ष्य में किसी विशिष्ट दस्तावेज का कोई संदर्भ नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई आरोप नहीं है और/या कोई मामला नहीं बनाया गया है कि कोई झूठा दस्तावेज बनाया और पेश किया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने में अपीलार्थीगण की कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदन करने के समय प्रकाश सिंह बादल पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे। उस समय न तो सुखबीर सिंह बादल और न ही दलजीत सिंह चीमा पार्टी के

लिए कोई पद संभाल रहे थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी, कोई झूठा हलफनामा नहीं था और न ही आवेदन के साथ कोई जाली दस्तावेज संलग्न किया गया था

एफ.

जी.

एच.

926

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

पंजीकरण के लिए, जो कानून के अनुसार किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम, 1951 की धारा 29-ए के सावधानीपूर्वक अवलोकन से पता चलता है कि पंजीकरण की मांग करने वाला एक राजनीतिक दल या तो अपना संविधान दायर कर सकता है या इस घोषणा को शामिल करते हुए एक ज्ञापन दायर कर सकता है कि वह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा रखेगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संविधान की प्रति संलग्न नहीं की गई थी और केवल अधिनियम, 1951 की धारा 29-ए के संदर्भ में पार्टी द्वारा अपनाए गए ज्ञापन की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, धोखाधड़ी, जालसाजी की सामग्री बिल्कुल नहीं बनाई जाती है।

बी.

3.10 अपीलार्थीगण की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वनाथन ने आगे कहा कि जहां तक प्रकाश सिंह बादल का संबंध है, समन जारी करने से पहले धारा 202 Cr.P.C के तहत जांच की अनिवार्य आवश्यकता का पालन नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न तो प्रकाश सिंह बादल को शिकायत में आरोपी के रूप में प्रस्तुत किया गया था और न ही जांच के समय उन्हें आरोपी के रूप में उद्धृत किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, धारा 202 Cr.P.C के तहत किसी भी अनिवार्य जांच के अभाव में, समन आदेश को दूषित कर दिया जाता है। रिलायंस को निर्णय पर रखा गया है

सी.

डी.

बिड़ला निगम लिमिटेड बनाम एडवेंटज़ इन्वेस्टमेंट्स एंड होलिंग्स लिमिटेड और अन्य,
(2019) 16 एस. सी. सी. 610 के मामले में इस न्यायालय का।

ई.

3.11 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पुनरीक्षण आवेदन पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय ने ठीक से साराहना नहीं की है और/या यह नहीं माना है कि समन आदेश को इस सवाल पर विचार करने में विफलता के कारण दूषित किया गया था कि क्या आवेदन कथित अपराधों के किए जाने या अपराधों के घटकों का खुलासा करता है। रिलायंस को इस फैसले पर रखा गया है

एफ.

मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस के मामले में अदालत। बनाम बिलार और अन्न राज्य, **(2009) 8 एस. सी. सी. 751 (पारस 13-14,21)**; सुनील भारती मित्तल बनाम केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो, **(2015) 4 एस. सी. सी. 609 (पैरा 48)** और महमूद उल रहमान बनाम खजीर मोहम्मद टुंडा और अन्य, **(2015) 12 एस. सी. सी. 420 (पैरा 20)**।

जी.

3.12 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए।

4. वर्तमान अपीलों का विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण और विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. यू. सिंह ने निम्नलिखित दलीलें दी हैं:- ए.

एच.

927

श्री सुखबीर सिंह बादल बनाम बालवंत सिंह खेरा और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

4.1 कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और धारा 202 के तहत जांच के दौरान दर्ज की गई सामग्री और/या साक्ष्य पर विचार करते हुए और इसलिए, जब विद्वत निचली अदालत का समाधान हो गया कि अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 420, 465, 466, 467, 468, 471 के तहत अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है, तो न तो विद्वत निचली अदालत ने अभियुक्त को उपरोक्त अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने में कोई त्रुटि की है और न ही माननीय उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण आवेदन का निपटारा करने में कोई त्रुटि की है। 4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय की सीमा के मापदंडों के भीतर है और उसके बाद जब माननीय उच्च न्यायालय ने संशोधन आवेदन को खारिज कर दिया है और धारा 482 Cr.P.C के तहत सीमित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए समन आदेश और आपराधिक

कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है, तो इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

बी.

सी.

डी.

4.3 मूल वादी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण ने आगे कहा कि यह मामला एक राजनीतिक दल के रूप में शिरोमणि अकाली दल (बादल) का पंजीकरण प्राप्त करने के लिए अभियुक्तों-अपीलार्थीगण द्वारा की गई धोखाधड़ी, जालसाजी और धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि गवाहों ने कहा है कि इसे पार्टी के "ज्ञापन" या "नियमों और विनियमों" के रूप में प्रस्तुत करने वाला एक मनगढ़ंत दस्तावेज भारत के चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया गया था ताकि अधिनियम, 1951 की धारा 29-ए का अनुपालन किया जा सके और इस तरह, पंजीकरण और इसके लाभ प्राप्त किए जा सकें।

ई.

एफ.

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच के दौरान जांचे गए गवाहों के अनुसार, श्री प्रकाश सिंह बादल ने संबंधित व्यक्तियों को इस तरह के दस्तावेज दाखिल करने के निर्देश जारी किए थे।

4.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं-अपीलार्थीगण श्री प्रकाश सिंह बादल ने गुरुद्वारा चुनाव आयोग (जी. ई. सी.) के समक्ष एक अलग संविधान प्रस्तुत किया था, जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एस. जी. पी. सी.) के चुनाव की मांग करने के लिए सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के अनुरूप था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एस. जी. पी. सी. और निर्वाचन आयोग और जी. ई. सी. के समक्ष उपक्रमों का चुनाव लड़ने के लिए पात्रता मानदंड विपरीत हैं।

जी.

एच.

928

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

एक-दूसरे को। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, एक राजनीतिक दल के रूप में एक धर्मनिरपेक्ष छवि को निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश किया जा रहा था, जबकि जी. ई. सी. से पहले, यह अनुमान लगाया गया था कि केवल वयस्क सिंघों और सिंघनी/बपतिस्मा प्राप्त सिंघों की सीमित सदस्यता की अनुमति थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इस प्रकार, अपीलार्थीगण द्वारा जानबूझकर निर्वाचन आयोग के समक्ष एक झूठा संविधान दायर किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धोखाधड़ी की निरंतर प्रकृति और अपीलकर्ताओं की भूमिकाओं को भी गवाहों द्वारा और विद्वत मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष समन पूर्व चरण के माध्यम से एकत्र की गई जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य के माध्यम से सामने लाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप इसका समन आदेश आया है। 4.6 मूल वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि समन के चरण में, केवल शिकायत में लगाए गए आरोपों पर विचार करने की आवश्यकता है और इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या शिकायत में लगाए गए आरोप अपीलार्थीगण द्वारा किए गए संज्ञेय अपराधों का खुलासा करते हैं या नहीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक शिकायत केवल कानून को गति प्रदान करती है, जबकि, यह धारा 200 Cr.P.C के अनुसार दर्ज साक्ष्य के आधार पर है, कि एक मजिस्ट्रेट की अदालत कर्तव्यबद्ध है और धारा 203 Cr.P.C या धारा 204 Cr.P.C के तहत एक बोलने का आदेश पारित करने के लिए सशक्त है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच के दौरान एकत्र/दर्ज की गई सामग्री/साक्ष्य के आधार पर, मजिस्ट्रेट की अदालत अपराधों में शामिल लोगों को बुलाने या न बुलाने का फैसला करती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इसलिए, एक बार जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर, यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाता है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो आरोपी के खिलाफ मुकदमे का सामना करने के लिए समन आदेश जारी किया जाए। 4.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में पार्टी के संविधान में प्रासंगिक खंडों के ठीक विपरीत धर्मनिरपेक्षता का झूठा दावा प्रस्तुत करके, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 415/420 के तहत अपराध के लिए एक स्पष्ट मामला बनाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह धोखाधड़ी और बेईमान प्रलोभन का एक स्पष्ट मामला है। मूल वादी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि जालसाजी का मामला भी बनाया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जालसाजी की परिभाषा के अनुसार, "जो कोई भी धोखाधड़ी करने के इरादे से कोई झूठा दस्तावेज बनाता है या ऐसे व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी की जा सकती है, उसे जालसाजी का अपराध कहा जाता है।" यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, वर्तमान मामले में, जालसाजी का एक स्पष्ट मामला बनाया गया है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

929

श्री सुखबीर सिंह बादल बनाम बालवंत सिंह खेरा और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

4.8 अब, जहाँ तक अपीलार्थीगण की ओर से, विशेष रूप से, अपीलकर्ता-प्रकाश सिंह बादल द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि मूल रूप से शिकायत में उनका नाम नहीं था और यहां तक कि धारा 202 के तहत जांच के समय भी, उनका नाम जांच में नहीं लिया गया था और इसलिए, समन आदेश को इस आधार पर दूषित कर दिया गया है कि धारा 202 के तहत जांच की अनिवार्य आवश्यकता का पालन नहीं किया गया है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री/साक्ष्य के आधार पर, यदि मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि शिकायत में नामित किसी व्यक्ति ने भी अपराध किया है, तो मजिस्ट्रेट को हमेशा उस व्यक्ति को आरोपी के रूप में बुलाना उचित है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी जांच आयोजित करने की धारा 202 Cr.P.C के तहत आवश्यकता का पालन न करने पर, गुण-दोष पर समन आदेश को दूषित नहीं कहा जा सकता है। मूल वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भूषण ने इस बारे में विस्तृत दलीलें दीं कि क्या धर्मनिरपेक्षता कहा जा सकता है और/या क्या अपीलार्थीगण धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं या नहीं और/या पार्टी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है या नहीं। हालाँकि, उपरोक्त कारणों से, हम इतने बड़े प्रश्न में जाने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और इसलिए, हम इसके बारे में विस्तार से बात नहीं कर रहे हैं। 4.9 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

5. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना। हमने अधिनियम, 1951 की धारा 29-ए के तहत आवेदन जमा करते समय दिनांकित 20.02.2009 की शिकायत के साथ-साथ आवेदन और पार्टी के पंजीकरण के लिए दायर आवेदन के साथ संलग्न ज्ञापन पर भी विचार और विचार किया है। हम विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित समन आदेश को भी देख चुके हैं।

एफ.

5.1 प्रारम्भ में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इसमें अपीलार्थीगण को विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 120 बी के साथ पठित धारा 420, 465, 466, 467, 468, 471 के तहत अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जाता है।

जी.

5.2 शिकायत में मुख्य आरोप यह था कि वर्ष 1989 में और प्रासंगिक समय पर प्रचलित संविधान के अनुसार, यानी वर्ष 1989 में, शिरोमणि अकाली दल (बादल) गैर-धर्मनिरपेक्षता में लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा और सीटें प्राप्त कीं।

एच.

930

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

इसलिए एस. जी. पी. सी. ने अधिनियम, 1951 की धारा 29-ए के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ संलग्न ज्ञापन गलत था। 5.3 अभिलेख की सामग्री से, विशेष रूप से, अधिनियम, 1951 की धारा 29-ए के तहत शिरोमणि अकाली दल (बादल) के पंजीकरण के लिए आवेदन से, यह प्रतीत होता है कि धारा 29-ए के तहत आवश्यकता के अनुसार, कि एक राजनीतिक दल को धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद में सौदा करना चाहिए, उस आशय का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। न तो पार्टी का "संविधान" और न ही कोई अन्य "नियम या विनियम" प्रस्तुत किए गए थे। आवेदन में कहा गया था कि पार्टी ने इस आशय का एक ज्ञापन स्वीकार किया था कि "शिरोमणि अकाली दल (बादल) कानून द्वारा साबित भारत के संविधान और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा रखेगा और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखेगा।" जो प्रस्तुत किया गया वह ज्ञापन की प्रति थी। उपरोक्त के आलोक में, जिस अपराध के लिए अभियुक्तों को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जाता है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है।

बी.

सी.

डी.

5.4 अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा

420,465,466,467,468,471 के साथ 120 बी के तहत अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जाता है। प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:-

“420. धोखाधड़ी और बेईमानी से डिलीवरी को प्रेरित करना

ई.

संपत्ति।—जो कोई धोखा देता है और इस तरह धोखेबाज़ व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को देने के लिए, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति के पूरे या किसी हिस्से को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए, या जो कुछ भी हस्ताक्षरित या सील किया गया है, और जो एक मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने में सक्षम है, उसे किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो सात साल तक की अवधि के लिए हो सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

एफ.

465. जालसाजी के लिए सजा।—जो भी करता है

जालसाजी को दो साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

जी.

466. न्यायालय या जनता के अभिलेख की जालसाजी

रजिस्टर, आदि-जो कोई भी किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जाली बनाता है, जो किसी न्यायालय ए का रिकॉर्ड या कार्यवाही होने का अनुमान लगाता है।

एच.

931

श्री सुखबीर सिंह बादल बनाम बालवंत सिंह खेरा और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

न्याय, या जन्म रजिस्टर, बपतिस्मा, विवाह या दफन, या एक लोक सेवक द्वारा रखा गया रजिस्टर, या एक प्रमाण पत्र या दस्तावेज जो एक लोक सेवक द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में बनाया जाना है, या एक मुकदमा स्थापित करने या बचाव करने के लिए एक प्राधिकरण, या उसमें कोई कार्यवाही करने के लिए, या निर्णय स्वीकार करने के लिए, या वकील की शक्ति, दोनों में से किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो सात साल तक की अवधि के लिए हो सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

बी.

स्पष्टीकरण।—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "रजिस्टर" में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (आर) में परिभाषित इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई किसी भी प्रविष्टि की कोई भी सूची, डेटा या रिकॉर्ड शामिल है।

सी.

467. मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि की जालसाजी -

जो कोई ऐसा दस्तावेज बनाता है जो एक मूल्यवान प्रतिभूति या वसीयत, या एक पुत्र को गोद लेने का अधिकार बताता है, या जो किसी व्यक्ति को कोई मूल्यवान प्रतिभूति बनाने या हस्तांतरित करने, या उस पर मूलधन, ब्याज या लाभांश प्राप्त करने, या कोई धन, चल संपत्ति, या मूल्यवान प्रतिभूति प्राप्त करने या वितरित करने का अधिकार देने का इरादा रखता है, या कोई दस्तावेज जो धन के भुगतान को स्वीकार करने वाली रिहाई या रसीद, या किसी चल संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के वितरण के लिए रिहाई या रसीद होने का दावा करता है, उसे आजीवन कारावास या किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो दस साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

डी.

ई.

468. धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी।— जो भी हो।

जालसाजी करता है, इस इरादे से कि जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग धोखाधड़ी के उद्देश्य से किया जाएगा, उसे सात साल तक की अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

एफ.

471. जाली दस्तावेज़ को वास्तविक के रूप में उपयोग करना या

जी.

इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड।—जो कोई धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी भी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का असली के रूप में उपयोग करता है जिसे वह जानता है या जिसे जाली दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मानने का कारण है, उसे उसी तरह से दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने ऐसे दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जाली बनाया था।”

एच.

932

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

5.5 अब, जहाँ तक भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 420 के तहत अपराध का संबंध है, "जो कोई भी धोखा देता है और इस तरह किसी भी व्यक्ति को कोई भी संपत्ति देने के लिए धोखा देने वाले व्यक्ति को बेईमानी से प्रेरित करता है", उसे धोखाधड़ी का अपराध करने वाला कहा जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा। धोखाधड़ी को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 415 के तहत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:-

बी.

415. धोखा दे रहे हैं।—जो कोई भी किसी व्यक्ति को धोखा देकर, धोखाधड़ी से या बेईमानी से किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है, या सहमति देता है कि कोई व्यक्ति किसी भी संपत्ति को बनाए रखेगा, या जानबूझकर इस तरह से धोखा दिए गए व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए प्रेरित करता है या ऐसा करने के लिए छोड़ देता है जो वह नहीं करेगा या छोड़ देगा यदि उसे धोखा नहीं दिया गया था, और जो कार्य या चूक उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान या नुकसान पहुंचाता है या होने की संभावना है, उसे "धोखा" कहा जाता है।

सी.

स्पष्टीकरण।—तथ्यों को बेईमानी से छिपाना इस खंड के अर्थ के भीतर एक धोखा है।"

डी.

5.6 शिकायत में किए गए कथनों और आरोपों को देखते हुए, यह बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है कि कैसे अपीलार्थीगण पर धोखाधड़ी का अपराध करने का आरोप लगाया गया है। धोखाधड़ी के अपराध के लिए सामग्री बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को देने के लिए धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी भी व्यक्ति को धोखा देने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए, शिकायत में दिए गए कथनों और आरोपों को नंगे पढ़ने पर भी, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 420 के तहत अपराध के लिए दूर से भी कोई मामला नहीं बनाया जाता है।

ई.

5.7 अब, जहाँ तक धारा 465 के तहत अपराध का संबंध है। धारा 465 के अनुसार, "जो कोई भी जालसाजी करता है, उसे धारा 465 के तहत अपराध के लिए दंडित किया जाएगा।" जालसाजी को धारा 463 के तहत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:-

एफ.

"463. जालसाजी।—जो कोई भी जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुँचाने के इरादे से, या किसी भी दावे या स्वामित्व का समर्थन करने के लिए, या किसी व्यक्ति को संपत्ति से अलग करने के लिए, या किसी स्पष्ट या निहित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए, या

धोखाधड़ी करने के इरादे से या धोखाधड़ी करने के इरादे से, कोई भी गलत दस्तावेज या गलत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाता है, वह जालसाजी करता है।”

जी.

5.8 इसलिए, धारा 463 के अनुसार, "जो कोई भी जनता या ए को नुकसान या चोट पहुंचाने के इरादे से कोई गलत दस्तावेज बनाता है।

एच.

933

श्री सुखबीर सिंह बादल बनाम बालवंत सिंह खेरा और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

किसी व्यक्ति को, या किसी दावे या अधिकार का समर्थन करने के लिए, या किसी व्यक्ति को संपत्ति से अलग करने के लिए प्रेरित करने के लिए, या किसी स्पष्ट या निहित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए, या धोखाधड़ी करने के इरादे से या धोखाधड़ी की जा सकती है, "कहा जाता है कि उसने जालसाजी का अपराध किया है। गलत दस्तावेज़ बनाना भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 464 के तहत परिभाषित किया गया है। इसलिए, जालसाजी के अपराध के लिए, जनता या किसी भी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुंचाने के इरादे से एक झूठा दस्तावेज बनाया जाना चाहिए। इसलिए, झूठे दस्तावेज बनाना अनिवार्य है। इस न्यायालय द्वारा समान प्रश्न पर विचार किया गया

बी.

मोहम्मद इब्राहिम और अन्य (ऊपर) के मामले में। जबकि

भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 464 और 471 और भारतीय दण्ड संहिता सी. के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, पैराग्राफ 13 और 14 में, यह निम्नानुसार देखा और अभिनिर्धारित किया गया है:- “13. धारा 467 और 471 के तहत अपराध के लिए पूर्ववर्ती शर्त जालसाजी है। जालसाजी के लिए पूर्ववर्ती शर्त एक गलत दस्तावेज़ (या गलत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या उसका हिस्सा) बनाना है। यह मामला किसी भी झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित नहीं है। इसलिए, सवाल यह है कि क्या पहले अभियुक्त ने किसी संपत्ति को बेचने के लिए दो बिक्री विलेखों को निष्पादित और पंजीकृत करने में (भले ही यह माना जाए कि यह उसका नहीं था), अन्य अभियुक्तों के साथ मिलीभगत से झूठे दस्तावेज बनाए और निष्पादित किए।

सी.

डी.

14. दंड संहिता की धारा **464** के विश्लेषण से पता चलता है कि यह झूठे दस्तावेजों को तीन श्रेणियों में विभाजित करता है:

ई.

1. पहला यह है कि कोई व्यक्ति बेईमानी या धोखाधड़ी से किसी दस्तावेज़ को यह विश्वास दिलाने के इरादे से बनाता है या निष्पादित करता है कि ऐसा दस्तावेज़ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार द्वारा बनाया या निष्पादित किया गया था, जिसके द्वारा या जिसके अधिकार से वह जानता है कि यह बनाया या निष्पादित नहीं किया गया था। 2. दूसरा वह है जहां कोई व्यक्ति बेईमानी से या धोखाधड़ी से, रद्द करके या अन्यथा, किसी दस्तावेज़ को अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाए जाने या निष्पादित किए जाने के बाद, वैध प्राधिकरण के बिना, किसी भी भौतिक भाग में बदल देता है।

एफ.

जी.

3. तीसरा ऐसा है जहां कोई व्यक्ति बेईमानी या धोखाधड़ी से किसी व्यक्ति को किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने, निष्पादित करने या बदलने के लिए कहता है, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति (ए) मानसिक अस्वस्थता; या (बी) नशा; या (सी) उस पर किए गए धोखे के कारण, दस्तावेज़ की सामग्री या परिवर्तन की प्रकृति को नहीं जान सकता है।

एच.

934

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

संक्षेप में, एक व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने एक "झूठा दस्तावेज़" बनाया है, यदि (i) उसने किसी और के होने या किसी और द्वारा अधिकृत होने का दावा करते हुए एक दस्तावेज़ बनाया या निष्पादित किया; या (ii) उसने एक दस्तावेज़ में बदलाव या छेड़छाड़ की; या (iii) उसने धोखे का अभ्यास करके, या किसी ऐसे व्यक्ति से एक दस्तावेज़ प्राप्त किया जो अपनी इंद्रियों के नियंत्रण में नहीं था।"

5.9 वर्तमान मामले में कोई झूठा दस्तावेज़ पेश नहीं किया गया है। जो प्रस्तुत किया गया वह ज्ञापन था और कोई अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए थे। यहां तक कि मूल वादी के अनुसार, ज्ञापन और पार्टी के पंजीकरण के समय किया गया दावा कि उसने धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार करते हुए एक ज्ञापन को अपनाया है, वही गुरुद्वारा चुनाव आयोग के समक्ष पेश

किए गए पार्टी के संविधान के विपरीत था। झूठा दावा करना और झूठा दस्तावेज़ बनाना और पेश करना दोनों अलग-अलग और अलग हैं।

बी.

सी.

5.10 अब, जहाँ तक भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 466, 467 और 468 के तहत अपराधों का संबंध है, यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त अपराधों के लिए कोई मामला बनाया गया है। धारा 466 न्यायालय के अभिलेख या सार्वजनिक रजिस्टर की जालसाजी के संबंध में है। धारा 467 मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि की जालसाजी के संबंध में है। धारा 468 धोखाधड़ी के उद्देश्यों के लिए जालसाजी से संबंधित है। धारा 471 जाली दस्तावेज को वास्तविक दस्तावेज के रूप में उपयोग करने के मामले में लागू होगी। 5.11 शिकायत में कथनों और आरोपों और यहां तक कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री/साक्ष्य को देखते हुए और यहां तक कि शिकायत के कथनों को सही मानते हुए, धारा 420, 465, 466, 467, 468, 471 के तहत दंडनीय अपराध के तत्व बिल्कुल भी नहीं बनाए गए हैं।

डी.

ई.

एफ.

5.12 इस स्तर पर, यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि अधिनियम, 1951 की धारा 29-ए के तहत आवेदन भी वर्ष 1989 में किया गया था और उसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 ने भी ईसीआई के समक्ष शिकायत दर्ज की, जिसे ईसीआई ने खारिज कर दिया और उसके बाद वर्तमान शिकायत वर्ष 2009 में दर्ज की गई है, यानी अधिनियम, 1951 की धारा 29-ए के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन दायर करने की तारीख से 20 साल की अवधि के बाद, जो वर्ष 1989 में की गई थी।

जी.

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, और यहाँ तक कि शिकायत के कथनों को सही मानते हुए भी, उन अपराधों के घटकों को न बनाएँ, जिनके लिए विद्वत विचारण न्यायालय ने समन आदेश पारित किया है।

एच.

935

श्री सुखबीर सिंह बादल बनाम बालवंत सिंह खेरा और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.]

ए.

शिकायत से उत्पन्न होने वाले अपीलार्थीगण-अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने और समन आदेश के अनुसार अभियुक्त द्वारा मुकदमे का सामना करने की परिस्थितियों में कानून और अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा और कुछ नहीं है और यह प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर शिकायत से उत्पन्न होने वाली पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त मामला है, जिसमें विद्वत ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित समन आदेश भी शामिल है।

बी.

7. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती हैं। पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है। भारतीय दण्ड संहिता सी. की 120 बी के साथ पठित धारा 420, 465, 466, 467, 468, 471 के तहत अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए अपीलार्थीगण-अभियुक्तों को समन करने वाले निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।

सी.

तदनुसार वर्तमान अपीलों की अनुमति दी जाती है। हालांकि, अलग होने से पहले, हम देख सकते हैं कि हमने केवल उपरोक्त आधारों पर समन आदेश को दरकिनार कर दिया है और हमने पार्टी-शिरोमणि अकाली दल (बादल) के संविधान पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है और वर्तमान आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा, जो कि निर्वाचन आयोग द्वारा पारित आदेश के खिलाफ लंबित है।

डी.

ई.

इन टिप्पणियों के साथ, वर्तमान अपीलों की अनुमति दी जाती है।

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायक: अभिषेक प्रताप सिंह और महेंद्र यादव, एलसीआरए)

एफ.

जी.

एच.